Title: Regarding insurance claims of farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Churu Parliamentary Constituency-Laid.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2021 के बीमा क्लेम को लेकर, बीमा कंपनियों द्वारा किसानों के साथ किये गए अवांछित व्यवहार की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2021 का बीमा क्लेम, मेरे लोकसभा क्षेत्र के चुरू जिले व हनुमानगढ़ जिले के नोहर, भादरा व रावतसर तहसील के कुछ क्षेत्र में बीमा कंपनी द्वारा राजस्थान सरकार की STAC समिति के निर्देशानुसार अनुपातिक आधार पर जारी कर दिया गया हैं । बीमा कंपनियों द्वारा गलत क्रॉप कटिंग का मामला राज्य सरकार की STAC समिति के समक्ष उठाया गया । STAC समिति द्वारा हनुमानगढ़ जिले के तहत Case by Case आधार पर बीमा क्लेम जारी किये जाने हेतु बीमा कंपनियों को निर्देशित किया गया, लेकिन चुरू जिले के मामले में समिति द्वारा सीधे ही अनुपातिक आधार पर बीमा क्लेम जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए ।

ये क्षेत्र के किसानों के साथ सरासर आपतिजनक व्यवहार हैं, क्षेत्र के किसानों में इसे लेकर भारी रोष हैं व किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं । यह भी अत्यंत विचारणीय हैं कि राज्य समिति द्वारा दो जिलों के एक समान मुद्दों पर अलग अलग निर्णय किस प्रकार किया गया । क्षेत्र के किसानों द्वारा लगातार अपनी आपत्ति इस मामले को लेकर दर्ज करवाई जा रही हैं । लेकिन राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं ।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध हैं कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अत्यंत ही आवश्यक हैं ।भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाये कि वे इस मामले में किसानो के हित को ध्यान में रखकर सभी किसानों को उचित बीमा क्लेम जारी किया जाये ।